मीरजापुर पुलिस

—प्रेस नोट—

दिनांकः 09.08.2025

थाना पड़रीः स्कॉर्पियो में क्रूरता पूर्वक बांधकर ले जाये जा रहे कुल 04 राशि गोवंश बरामद —

“सोमेन बर्मा” वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद मीरजापुर द्वारा अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों की धरपकड़ व पशु तस्करों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षगण को प्रभावी कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए है।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में आज दिनांकः09.08.2025 को थाना पड़री पुलिस टीम द्वारा रक्षाबंधन पर्व को सकुशल सम्पन्न कराने के दृष्टिगत थाना पड़री क्षेत्रान्तर्गत पचोखरा बिल्डिंग मैटेरियल दुकान के पास संदिग्ध व्यक्तियों/वाहनों की सघन चेकिंग की जा रही थी। पुलिस द्वारा की जा रही सघन चेकिंग को देखकर कुछ दूरी पर सिकरी इमरती की तरफ से आ रहे सफेद स्कॉर्पियो सवार 02 व्यक्ति रेलवे अण्डर पास के नीचे बरसाती पानी में स्कॉर्पियो वाहन को खड़ी करके नीचे उतरकर भागे। पुलिस द्वारा संदिग्ध वाहन स्कॉर्पियो अंकित वाहन संख्याःUP61AR4912 की तलाशी ली गयी तो उसमें क्रूरता पूर्वक बांधकर ले जाये जा रहे कुल 04 राशि गोवंशो को बरामद किया गया। बरामद हुए गोवंशों के चिकित्सीय परीक्षणोपरान्त बृहद् गोशाला सिंधोरा में दाखिल कराया गया। उक्त बरामदगी के सम्बन्ध में थाना पड़री पर मु0अ0सं0-144/2025 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम पंजीकृत कर नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग —

मु0अ0सं0-144/2025 धारा 3/5ए /8 उ.प्र.गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम थाना पड़री जनपद मीरजापुर।

बरामदगी करने वाली पुलिस टीम —

उप-निरीक्षक दयाराम यादव व राजनाथ यादव थाना पड़री, मीरजापुर।

मुख्य आरक्षी रणविजय कुशवाहा व आरक्षी विकास यादव।

IND
UP61AR4912

****